संख्या- 88/2022/3834 /58-1-2022-54-2002(099)/12/2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक दिसम्बर, 2022**

विषय: अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0140-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' में तथा ''89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8940-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' में पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-783/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 03 नवम्बर, 2022 एवं निदेशालय पत्र संख्या-803/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0140-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' में रु0 252.84 लाख एवं "89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8940-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' में रु0 758.54 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 1011.38 लाख (रुपया दस करोड़ ग्यारह लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे ।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 एवं शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0140-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद "61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8940-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद "61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-178 दिनांक 13.12.2022 एवं आर.ई.संख्या-बजट-1-179 दिनांक 13.12.2022 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 88 /2022/3834(1) /58-1-2022-54-2002(099)/12/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-20222023-54-2002-099-12-2022

विषय:- अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0140- समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" में पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020104 (समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (के.60/रा.40-के.))	61 (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण)	4,36,05,000 रुपये चार करोड़ छत्तीस लाख पांच हजार मात्र	4,36,05,000 रुपये चार करोड़ छत्तीस लाख पांच हजार मात्र	-2,52,84,000 रुपये दो करोड़ बावन लाख चौरासी हजार मात्र	1,83,21,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020140 (समन्वित बाल विकास योजना-1 के-25-रा-75)	61 (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण)	0	2,52,84,000 रुपये दो करोड़ बावन लाख चौरासी हजार मात्र	2,52,84,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) उपलब्ध बचत का कारण योजनान्तर्गत वेतनादि मदों में फण्डिंग पैटर्न भिन्न होने व SNA की व्यवस्था के कारण।

(2) बजट हेड नये खुलने से प्रावधान न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-2 बजट-1-178 > -2022-23, दिनांक- 13-12- नवंबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 12-12-2022 12:26:56
Reason: Approved

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव ।

फूल चन्द्र यादव
अनु सचिव ।

संख्या : < > / < >, < > दिनांक- नवंबर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में।)

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम

संयुक्त सचिव ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-20222023-54-2002-099-12-2022.

विषय:- अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8940-समन्वित बाल विकास योजना-1 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" में पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
049.	2235021028904 (समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था)	61 (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण)	10,77,57,000 रुपये दस करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार मात्र	10,77,57,000 रुपये दस करोड़ सतहत्तर लाख सतावन हजार मात्र	-7,58,54,000 रुपये सात करोड़ अट्ठावन लाख चौवन हजार मात्र	3,19,03,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
049	2235021028940 (समन्वित बाल विकास योजना-1 के-25-रा-75)	61 (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण)	0	7,58,54,000 रुपये सात करोड़ अट्ठावन लाख चौवन हजार मात्र	7,58,54,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) उपलब्ध बचत का कारण योजनान्तर्गत वेतनादि मदों में फण्डिंग पैटर्न भिन्न होने व SNA की व्यवस्था के कारण।

(2) बजट हेड नये खुलने से प्रावधान न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< बजट-1-179 > -2022-23, दिनांक- 13-12-2022 नवंबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम से
Signed by फूल चन्द यादव
Date: 12-12-2022 12:26:00
Reason: Approved

महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव।

फूल चन्द्र यादव
अनुसचिव।

संख्या : < > / < >, < > दिनांक- ~~नवंबर,~~ २२ दिसंबर 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्याय-नियंत्रण) अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में।)

आज्ञा से
महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव।